राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 547/2023

डॉ. श्रेया चोपड़ा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2023
आदेश की दिनांक : 28.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय, दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीएचसी रूपवास भरतपुर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि स्थानान्तरित स्थान पर एक ही पद स्वीकृत है जिस पर पूर्व से ही दो चिकित्सक कार्यरत है। जिसका उल्लेख पत्र दिनांक 06.02.2023 में मौजूद है। प्रत्यर्थीगण ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए आलोच्य आदेश जारी किया है, जो विधि के विरूद्ध है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें

अपीलार्थी को जुलाई, 2020 से आज तक वेतन नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को उक्त अवधि का वेतन दिलाये जाने का निर्देश दिए जावें। उसका स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी को सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जाएं।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि अपीलार्थी का नियमानुसार स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से जनहित में किया गया है तथा आदेश दिनांक 24.01.2023 के द्वारा उसे नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय, दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी वर्ष 2021 से एक ही स्थान पर कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer*

orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के कथनानुसार सी.एच.सी., रूपवास, भरतपुर में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त ना होते हुए भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में नियोक्ता/प्रत्यर्थी विभाग को यह अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान/पद पर जनहित में ली जानी है, किसी भी कार्मिक को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसे उसकी ईच्छानुसार स्थान पर पदस्थापित किया जाए। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य